हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 07 अप्रैल, 2017

संख्या 15/एस.टी.–1/ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2016. – चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हैं ;

इसलिए, अब, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप–धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप–धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, प्रथम अप्रैल, 2017 से उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क, ख, ड़ तथा छ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,

1. अनुसूची 'क' में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे,–
   (i) क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;
   (ii) क्रम संख्या 5क तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा; तथा
   (iii) क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;
2. अनुसूची ख़ में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 31ख तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा ।
3. अनुसूची ड़ में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा ।
4. अनुसूची छ में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:–

"4(क)	देसी मदिरा	13 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार	जब राज्य में प्रथम बार आसवानियों द्वारा बेची जाए: परन्तु इन मालों की बिक्री पर कोई भी जमा निवेश कर मान्य नहीं होगा।
(ख)	बीयर, आर0टी0बी0 (पीने के लिए तैयार पेय) तथा वाइन	13.5 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार	जब राज्य में प्रथम बार बीयर तथा वाइन के मामले में अनु0–1ख1, अनु0–1–कख1, अनु0–1ब द्वारा, तथा आर0टी0बी0 के मामले में अन01–ख1–क द्वारा, बेची जाए : परन्तु इन मालों की बिक्री पर कोई भी जमा निवेश कर मान्य नहीं होगा।
(ग)	भारत में बनी विदेशी मदिरा (आई एम एफ एल)	14 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार	जब राज्य में प्रथम बार अनु0–1ख तथा अनु0–1कख द्वारा बेची जाए : परन्तु इन मालों की बिक्री पर कोई भी जमा निवेश कर मान्य नहीं होगा।
(घ)	बोतल के रूप में आयातित विदेशी मदिरा (आईएफएल)	33 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार की	प्रविष्टि 5 में आने वाली के सिवाए जब राज्य में किसी व्यवहारी द्वारा प्रथम बार बेची जाने पर तथा अनु–1खच (अनुज्ञाप्तिधारी) व्यवहारी द्वारा सभी बिक्रियों पर । अनु–1खच (अनुज्ञाप्तिधारी) व्यवहारी द्वारा किसी भी

	(बी0आई0ओ0)		व्यवहारी को बेचे गए ऐसे मालों पर कोई भी जमा निवेश कर मान्य नहीं होगा।
5	आयातित विदेशी मदिरा (बोतल के रूप में) सहित मदिरा	18 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार	जब राज्य में बार, पब तथा कलब में अनु0–4 / अनु0–5 / अनु0–10ग / अनु0–10ड़ / अनु0–12 ग / अनु0–12छ अनुज्ञप्ति रखने वाले द्वारा बेची जाए : परन्तु इस प्रविष्टि के अधीन आने वाले व्यवहारियों को मदिरा के क्रय पर कोई भी जमा निवेश कर मान्य नहीं होगा।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th April, 2017

No. 15/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2017. - Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule A, B, E and G appended to the said Act with effect from the 1st April, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),—

(1) in Schedule A, under columns 1, 2 and 3,-

(a) serial number 5 and entries thereagainst shall be omitted;

(b) serial number 5A and entries thereagainst shall be omitted; and

(c) serial number 10 and entries thereagainst shall be omitted;

(2) in Schedule B, under columns 1 and 2, for serial number 31B and entries thereagainst shall be omitted.

(3) in Schedule E, under columns 1, 2, 3 and 4, for serial number 4 and entries thereagainst shall be omitted.

(4) in Schedule G, under columns 1, 2, 3 and 4, after serial number 3 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

"4 (a)	Country liquor	13% plus five percent surcharge	When sold for the first time in the State by the distillery: Provided no Input Tax Credit shall be admissible on sale of these goods.
(b)	Beer, RTB, and Wine	13.5% plus five percent surcharge	When sold for the first time in the State by the L-1B1, L-1-AB1, L-1W in case of beer and wine, and L1-B1-A in case of RTB: Provided no Input Tax Credit shall be admissible on sale of these goods.
(c)	Indian Made Foreign Liquor (IMFL)	14% plus five percent surcharge	When sold for the first time in the State by L-1B and L-1AB: Provided no Input Tax Credit shall be admissible on sale of these goods.
(d)	Imported Foreign Liquor (IFL) bottled in Origin (BIO)	33% plus five percent surcharge	When sold by any dealer for the first time in the State and all sales by an L-1BF (Licensee) dealer except covered under entry 5: No Input Tax Credit shall be admissible to any dealer subsequent to L-1BF (Licensee) dealer on sale of these goods.

5	Liquor including Imported Foreign Liquor (bottled in Origin)	18% plus five percent surcharge	When sold by bar, pub and club holding L-4/L-5 /L-10C/ L-10E/L-12C/L-12G license: Provided no Input Tax Credit will be admissible to the dealers covered by this entry on purchase of liquor.”

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Excise and Taxation Department